दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY जी / G.377

भारतीय रेल (संशेधन) अधिनियम/ INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ACT काम के घंटों से संबंधित विनियम/HOURS OF EMPLOYMENT REGULATIONS

ड्यूटी रोस्टर / Duty Roster

	मंडल के .		स	बुंड पर				प्टेशन में .	विभाग में नियुक्ति और					के रूप में वर्गीकृत					का ड्यूटी रोस्टर ।					
Duty Roster of			ed as		employ	yed in			Dept. at	t			Sta	ation on .					ection of		•	Divisi	on.	
							गाने की अवधि						kly / Weel	-										
ड्यूटी के घं							hours(a)							(ख					ग़ह/ (b) J					
		্`ক' /Emp			कर्मचारी 'ख' /Employee 'B'					कर्मचारी 'ग' /Employee 'C'					कर्मचारी 'घ' /Employee 'D'RG/LR				एवजी कर्मचारी/Rest Giver					
दिन / Day	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty (excl.P.& C. work)	के प्रारंभिक विश्राम और के घंटे रंभिक पूरक Hours पूरक and के of Rest कर) Hours of P.&.C.		ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl .P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&.C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	अाम ड्यूटी पर (प्रारंभि और पूरक कार्य के मिलाकर) On duty		काम के प्रारंभिक घंटे और (प्रारंभिक पूरक		विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty (including P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&.C. work	विश्रा म के घंटे Hour s of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(includin g P.& C. work)		काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(exc l.P.&C. work)	और पूरक कार्य के घंटे Hours of	विश्राम के घंटे Hours of Rest
	से/ तक/ From To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक/ To				से/ From	तक/ To			
रविवार/ Sunday																								
सोमवार/ Monday																			+					+
मंगलवार/ Tuesday																								
बुधवार/ Wednesday																								
गुरूवार/ Thursday																								
शुक्रवार/ Friday																								
शनिवार/ Saturday																								
कुल/Total																								
roster subject		मय 14 मिनट से the time shown ceeding 14 min	े अधिक न हो n in the rosten nutes	I r and /or de								(c) 'I The m (घ्) मूल	i' workers—j naximum per त: सविराम कार	preparatory missible is नगर 15 से 3	and/or Co 3 hours a 30 मिनट तव	omplementar week. कका प्रारंभिकः	क और/या पूरक ry work for a po और /या पूरक कार्य a period betweer	eriod between ि 30 मिनट की इ	. 15 and 30 ड्यूटी के रूप) minutes w में माना जाए	vill be con एगा । अनुमत	nsidered to be । अधिकतम समय	duty for 30 । नीचे दिखए अन्	minutes.

- Preparatory Complementary work should count as duty to the extent shown below -----
- (क) निरंतर मूलत: सविराम और गहन कामगारों के मामले में -15 मिनट के कम अवधि को ड्यूटी नहीं माना जाएगा और उसे रोस्टर में उल्लिखित नहीं किया जाएगा।
- In the case of 'C', I and I' workers -period of less than 15 minutes will not count as period of duty and should not be mentioned in the roster
- (ख) निरंतर कामगार-(1) प्रतिदिन 15 से लेकर 45 मिनट से कम समय तक का प्रारंभिक और/या पूरक कार्य आधे घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा।
- (b) C worker-
- (i) Preparatory and or Complementary work between 15 minutes and less than 45minutes per day ;shall be treated as ½ hour's work
 - (ii)प्रतिदिन 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को एक घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा । प्रति सप्ताह अनुमान अधिकतम समय 6घंटे है ।

Preparatory and or Complementary work for a period between 45 minutes and one hour Per day will be treated as one hour's work. The maximum permissible is 6hours a week.

Officer	
देनांक/Date	
ग्दनाम/Designation	

The maximum permissible be being as shown below--

विश्राम घरों, जलगारों आदि के रखवालों , सैलून परिचारकों और मार्गस्थ छोटे स्टेशनों में नियुक्त ऐसे मूलत: सविराम कर्मचायरियों के मामलों में जिनको, उनके ड्यूटी स्थान से 0.5 कि.मी. के अंदर आवास के लिए मकान की व्यवस्थ है -3घंटे।

(ii) वाकी 'मूलत: ' सविराम कामगार-4-1/2 घंटे

Rest of the 'E. I' workers—4-1/2 hours.

(उनके मामले में 30 से 45 मिनट तक के समय के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को 45 मिनट के कर्य के रूप में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।) (In their case preparatory and/or Complementary work for period between 30 and 45 minutes should be rounded off to 45 minutes

अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of